भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 1621
10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमएफबीवाई दावों के निपटान में विलंब
1621. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वेः
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान लंबित बीमा दावों वाले किसानों की संख्या कितनी है और इन दावों की कुल राशि का राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या बीमा कंपनियों द्वारा किसानों के दावों के निपटान में अत्यधिक विलंब किया जा रहा है, यदि हां, तो योजना के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक ब्याज सहित बीमा कंपनियों से वसूल की गई और किसानों को भुगतान की गई राशि का राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का स्थानीय आपदा की सूचना देने के लिए निर्धारित 72 घंटे की समय सीमा को बढ़ाने और दावा प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाने का विचार है; और
(घ) क्या फसल क्षति के पारदर्शी और सटीक आकलन को सुनिश्चित करने के लिए उपग्रह और ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग को अनिवार्य बनाने के लिए कोई समयबद्ध योजना है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान दर्ज किए गए दावों, भुगतान किए गए दावों और लंबित दावों का राज्यवार संचयी विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत स्वीकार्य दावों का अधिकांश हिस्सा बीमा कंपनियों द्वारा योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर कर दिया जाता है। हालांकि, योजना के कार्यान्वयन के दौरान अतीत में दावों के भुगतान के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो मुख्य रूप से **(क) राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के हिस्से के भुगतान** में देरी **(ख) बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/विलंब से प्रस्तुत करने के कारण दावों का भुगतान न होना/देरी से भुगतान होना या कम भुगतान होना (ग) उपज आंकड़ों में विसंगति और परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद आदि के कारण हैं।** इन मुद्दों के कारण लंबित दावों का निपटारा योजना के प्रावधानों के अनुसार उनके समाधान के बाद किया जाता है।

(ग): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (MNCFC) द्वारा संचालित विभिन्न पायलट अध्ययनों की सिफारिशों के आधार पर, वस्तुनिष्ठ फसल क्षति एवं नुकसान आकलन और पारदर्शिता हेतु निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से कार्यान्वित किया जा रहा है:

i. YES-TECH (प्रौद्योगिकी आधारित उपज आकलन प्रणाली) के तहत रिमोट सेंसिंग आधारित उपज आकलन की ओर क्रमिक रूप से अपनाना ताकि उपज आकलन के साथ-साथ उचित और सटीक फसल उपज अनुमान में सहायता मिल सके। यह पहल धान और गेहूं की फसलों के लिए खरीफ 2023 से शुरू की गई है, जिसमें उपज आकलन में YES-TECH से प्राप्त उपज आकलन को अनिवार्य रूप से 30% भारांश दिया जाएगा। खरीफ 2024 से सोयाबीन की फसल को इसमें शामिल किया गया है।

ii. WINDS (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा प्रणाली) के तहत ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर अति-स्थानीय मौसम डेटा एकत्र करने के लिए मौजूदा नेटवर्क से 5 गुना अधिक स्वचालित मौसम स्टेशनों (AWS) और स्वचालित वर्षामापी यंत्र (एआरजी) का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। यह डेटा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के समन्वय से अंतरप्रचालनीयता और डेटा साझाकरण के साथ एक राष्ट्रीय डेटाबेस में दर्ज किया जाएगा। WINDS न केवल YES-TECH के लिए डेटा प्रदान करता है, बल्कि सूखा और आपदा को प्रभावी प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए भी डेटा उपलब्ध कराता है।

अनुबंध

PMFBY और RWBCIS: दिनांक 31.12.2025 तक वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक दर्ज किए गए अखिल भारतीय राज्य-वार दावों का विवरण

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	दर्ज किए गए दावे	भुगतान किए गए दावे	लंबित दावे
	(रु. करोड़ में)		
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.05	0.05	0.00
आंध्र प्रदेश	3,793.60	751.94	3,041.66
असम	176.26	173.39	2.87
छत्तीसगढ़	1,394.06	1,392.68	1.37
गोवा	0.01	0.01	0.00
हरियाणा	3,190.63	3,149.98	40.65
हिमाचल प्रदेश	219.70	214.16	5.54
जम्मू एवं कश्मीर	69.78	67.56	2.22
झारखंड	27.28	-	27.28
कर्नाटक	8,630.78	8,564.92	65.86
केरल	357.38	346.68	10.70
मध्य प्रदेश	3,341.31	3,309.07	32.24
महाराष्ट्र	21,031.87	20,780.47	251.41
मणिपुर	5.45	5.29	0.16
मेघालय	24.23	24.01	0.21
ओडिशा	978.41	967.85	10.56
पुदुचेरी	11.32	9.71	1.61
राजस्थान	10,283.13	9,929.69	353.44
सिक्किम	0.02	0.01	0.01
तमिलनाडु	2,491.01	2,446.69	44.31
त्रिपुरा	4.57	4.46	0.11
उत्तर प्रदेश	1,920.85	1,882.33	38.53
उत्तराखंड	911.14	862.33	48.81
कुल	**58,862.84**	**54,883.28**	**3,979.55**

*****